[2019] 12 एस. सी. आर. 465

ए.

मोहम्मद फसरिन

वी.

राज्य प्रतिनिधि। बौद्धिक अधिकारी द्वारा (2014 की आपराधिक अपील संख्या 296)

बी.

सितंबर 04,2019

[दीपाक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस**,** जे**.** जे**.]**

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 -एस. 8 (सी) आर/डब्ल्यू एसएस। 29, 21, 23(सी), 27 (ए) और एस।67 – खुफिया अधिकारी, मादक पदार्थ विभाग को सूचना मिली कि अपीलार्थी के कहने पर 7.40 किलोग्राम हेरोइन टोयोटा क्वालिस वाहन में ले जाया जाएगा-वाहन पकड़ा गया-आरोपी नं।2 (सह-अभियुक्त), वह बॉम्बे के एक 'एम' से मिला, जिसने उसे बताया कि उससे प्रतिबंधित पदार्थ की डिलीवरी लेने के बाद, सह-अभियुक्त को हेरोइन लेनी थी और इसे एक 'एन' को सौंपना था, जिसे आगे हेरोइन अपीलार्थी को सौंपनी थी-पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज अपीलार्थी का इकबालिया बयान-अपीलार्थी ने यू/एस को दोषी ठहराया।8(ग) आर/डब्ल्यू एसएस।29, 21, 23(ग) और 27 (क)-आयोजितःअपीलार्थी के संबंध में आरोप केवल सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति में है कि 'एम' ने सह-अभियुक्त से कहा था कि उसे अपीलार्थी को प्रतिबंधित सामग्री पहुंचानी है-न तो बॉम्बे से उक्त 'एम' और न ही 'एन' की मामले में जांच की गई है और न ही उन्हें आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है-इसलिए, लिंक साक्ष्य पूरी तरह से गायब है-इसके अलावा, स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी का स्वीकारोक्ति उसकी गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था-मुद्दा, क्या बयान दर्ज किया गया है यू/एस।67 एन. डी. पी. एस. अधिनियम को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है, भले ही इस तरह का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी को पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं माना जाना था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में बड़ी पीठ को संदर्भित -

वर्तमान मामला इस आधार पर आगे बढ़ाया जाता है कि स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है-भले ही यह स्वीकार्य हो, अदालत को संतुष्ट होना पड़ता है कि यह एक स्वैच्छिक बयान है, जो किसी भी दबाव से मुक्त है और यह भी कि आरोपी को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले उसके अधिकारों से अवगत कराया गया था-ऐसी कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं लाई गई है-स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से जब आरोपी हिरासत में होता है, तो दर्ज की गई स्वीकारोक्ति, सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है और कुछ पुष्टिकारक सबूत होना चाहिए-दो इकबालिया बयानों के अलावा।

जी.

एच.

465 ए.

सह-अभियुक्तों में से एक और अपीलार्थी में से दूसरे, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को अपराध के साथ जोड़ने के लिए कोई सबूत एकत्र नहीं किया है-सह-अभियुक्त का इकबालिया बयान, जिसे सबूत का एक पुष्टिकारक टुकड़ा कहा गया था, का कोई भौतिक मूल्य नहीं है-अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है-निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थी को गलत तरीके से दोषी ठहराया-नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों के फैसले को दरकिनार कर दिया गया।

बी.

साक्ष्य-स्वीकारोक्ति-स्वीकार्यता-चर्चा की गई।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना:**1.1** जहाँ तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है, एकमात्र साक्ष्य, यदि इसे ऐसा कहा जा सकता है, तो सह-अभियुक्त (अभियुक्त संख्या **2)** का बयान और उसका अपना कथित स्वीकारोक्ति है।अपीलार्थी के संबंध में एकमात्र आरोप यह है कि बॉम्बे के 'एम' से प्रतिबंधित पदार्थ की डिलीवरी लेने के बाद, सह-अभियुक्त को हेरोइन लेनी थी और उसे एक 'एन' को सौंपना था।उक्त 'एन' को आगे अपीलार्थी को हेरोइन सौंपनी थी।न तो बॉम्बे के उक्त 'एम' और न ही 'एन' से मामले में पूछताछ की गई है और न ही उन्हें आरोपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है।इसलिए, लिंक साक्ष्य पूरी तरह से गायब है।इसके अलावा, आरोप केवल सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति का है कि 'एम' ने सह-अभियुक्त से कहा था कि उसे वर्तमान अपीलार्थी को प्रतिबंधित सामग्री पहुंचानी है।यहां तक कि अगर सह-अभियुक्त ए-**2** के कबूलनामे को ध्यान में रखा जाता है, तो यह केवल यह साबित करेगा कि 'एम' (बॉम्बे से) ने सह-अभियुक्त से कहा था कि 'एन' वर्तमान अपीलार्थी को प्रतिबंधित पदार्थ सौंप देगा। सह-अभियुक्त का यह साक्ष्य एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है जिसकी पुष्टि कुछ

अन्य साक्ष्यों से करने की आवश्यकता है।एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति जाँच अधिकारियों को एक संकेत देता है कि मामले की जाँच कैसे की जाए और किसके खिलाफ मामले की जाँच की जाए।इसके बाद, यह जांच अधिकारियों पर है कि वे उक्त व्यक्ति के खिलाफ सबूत एकत्र करें, जिसे सह-आरोपी द्वारा नामित किया गया है।वर्तमान मामले में ऐसा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है।मान लीजिए, पीडब्लू-**1** द्वारा दर्ज अपीलार्थी का इकबालिया बयान उसकी गिरफ्तारी के बाद दर्ज किया गया था।यह मुद्दा कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा **67** के तहत दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है, भले ही इस तरह का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी को पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, ए.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

467

मोहम्मद फसरिन बनाम राज्य प्रतिनिधि। बुद्धिमत्ता अधिकारी द्वारा ए

तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में वृहद न्यायपीठ।इसलिए इस मामले का निर्णय इस आधार पर आगे बढ़ाया जाता है कि स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है।भले ही यह स्वीकार्य हो, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि यह एक स्वैच्छिक बयान है, जो किसी भी दबाव से मुक्त है और यह भी कि अभियुक्त को स्वीकारोक्ति दर्ज करने से पहले उसके अधिकारों से अवगत कराया गया था।इस मामले के रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई गई है।एक स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से एक स्वीकारोक्ति जो दर्ज की जाती है जब आरोपी हिरासत में होता है, सबूत का एक कमजोर टुकड़ा होता है और कुछ पुष्टिकारक सबूत होने चाहिए।सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति, जिसे सबूत का एक पुष्टिकारक टुकड़ा कहा गया था, ऊपर चर्चा की गई है और इसका कोई भौतिक मूल्य नहीं है।इसलिए, दो इकबालिया बयानों के अलावा-एक सह-आरोपी और दूसरा आरोपी, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को अपराध करने से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं एकत्र किया है।इस प्रकार, स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता की वैधता में गए बिना, यह माना जाता है कि भले ही ये स्वीकारोक्ति स्वीकार्य हों, फिर भी सबूत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।**[**पारस **5-7] [469-**एच**; 470-**ए-एच**; 471-**ए-सी**]**

बी.

सी.

डी.

तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य **(2013) 16** एस**.** सी**.** सी**. 31:**

[2013] 9 एस**.** सी**.** आर**. 962-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

ई.

[2013] 9 एससीआर **962**

संदर्भित किया गया है

पैरा **7**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2014 की आपराधिक अपील संख्या 296।

2007 की आपराधिक अपील संख्या 204 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के दिनांकित 19.02.2008 के निर्णय और आदेश से।शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, शिल्पा सैनी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।अजीत कुमार सिन्हा, संजय कुमार त्यागी, राजन कुमार चौरसिया, श्रीमती रेखा पांडे, टी. ए. खान, दिव्यांश राय, बी. वी. बलराम दास, बी. कृष्ण प्रसाद, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपाक गुप्ता**,** जे।

1. अभियुक्त द्वारा यह अपील मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.02.2008 के फैसले के खिलाफ निर्देशित की गई है, जिसके तहत उसने

एच.

जिला और सत्र न्यायाधीश, मदुरै ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एन. डी. पी. एस. अधिनियम) मामलों के लिए विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करते हुए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए अभियुक्त को तीन अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया। जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 (सी) के साथ 29,21 और 23 (सी) और 27 (ए) के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया था और इसके अलावा अपीलार्थी ने अधिनियम की धारा 8 (सी) के साथ 27 (ए) के तहत दंडनीय अपराध किया था और 15 साल की अवधि के लिए कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई थी।अधिनियम की धारा 27 ए के तहत अपराध अवैध यातायात के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा से संबंधित है और निम्नानुसार हैः

बी.

सी.

27 ए. अवैध यातायात के वित्तपोषण और अपराधियों को शरण देने के लिए सजा।- जो कोई भी धारा 2 के खंड (viiia) के उपखंड (i) से (v) में निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण में लिप्त है या उपरोक्त गतिविधियों में से किसी में लगे किसी भी व्यक्ति को शरण देता है, वह कठोर कारावास से दंडनीय होगा जो दस साल से कम नहीं होगा, लेकिन जो बीस साल तक हो सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन जो दो लाख रुपये तक हो सकता हैः

डी.

ई.

बशर्ते कि अदालत, फैसले में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगा सकती है।

2. इस अपराध का अनिवार्य घटक यह है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 2 के खंड (viiia) के उपखंड (i) से (v) में आने वाली किसी भी गतिविधि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषण किया है या उपरोक्त गतिविधियों में लगे किसी भी व्यक्ति को शरण दी है।जहाँ तक अभियोजन पक्ष के मामले का संबंध है, यह केवल वित्तपोषण का है न कि आश्रय देने का।

एफ.

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 8 (सी) इस प्रकार हैः8. कुछ कार्यों का निषेध।- कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा-(ए)।

जी.

(बी)।

(ग) उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, क

एच.

469

मोहम्मद फसरिन बनाम राज्य प्रतिनिधि. बुद्धिमत्ता अधिकारी द्वारा [दीपाक गुप्ता, जे.] ए.

भारत में आयात, भारत से निर्यात या किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ का हस्तांतरण,

चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तरीके और सीमा तक और ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई प्रावधान, ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के अनुसार भी लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के रूप में कोई आवश्यकता अधिरोपित करता है:

बी.

बशर्ते कि, और इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, गांजे के उत्पादन या उत्पादन, कब्जे, उपयोग, खपत, खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, अंतर-राज्य आयात और चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए अंतर-राज्य गांजे के निर्यात के लिए भांग के पौधे की खेती के खिलाफ निषेध केवल उस तारीख से प्रभावी होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है:[बशर्ते कि इस धारा में कुछ भी सजावटी उद्देश्यों के लिए खसखस के पुआल के निर्यात पर लागू नहीं होगा।]"

सी.

डी.

3. यह मूल रूप से भारत में प्रतिबंधित पदार्थ के निर्यात या आयात या भारत से निर्यात के लिए एक अपराध है।हालाँकि, अपीलार्थी के खिलाफ आरोप वित्तपोषण और प्रतिबंधित पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में लिप्त होने के थे, लेकिन इस संबंध में वस्तुतः कोई सबूत नहीं मिला है।

ई.

4. अब हम इस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं।आई. डी. 2 पर, खुफिया अधिकारी, मादक पदार्थ विभाग को सूचना मिली कि वर्तमान अपीलार्थी के कहने पर आई. डी. 1> 31 सी. 9117 वाले टोयोटा क्रालिस वाहन में 7.40 किलोग्राम

हेरोइन ले जाया जाएगा।इस वाहन को तब पकड़ा गया जब इसे मदुरै-अलागर कोइल रोड के तमिलनाडु होटल में खड़ा किया गया था और उससे 7.40 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी।उस समय आरोपी नं.2 गाड़ी में 6 लोग बैठे थे।अभियुक्त सं।2 4 को एन. डी. पी. एस. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया है। हम उनसे चिंतित नहीं हैं क्योंकि जहाँ तक हमारी जानकारी है, उनके द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई है।

एफ.

जी.

5. जहाँ तक वर्तमान अपीलार्थी का संबंध है, एकमात्र साक्ष्य, यदि इसे ऐसा कहा जा सकता है, तो सह-अभियुक्त (अभियुक्त संख्या 2) का बयान और उसका अपना कथित स्वीकारोक्ति है।जहाँ तक सह-अभियुक्त (Ext.P41) के बयान का संबंध है, इसमें सह-अभियुक्त बहुत विस्तार से कहता है कि

एच.

कैसे वह बॉम्बे में मोहम्मद नामक एक अन्य व्यक्ति के संपर्क में आया जिसने उसे बॉम्बे से मंगलापुरम जाने का निर्देश दिया था।वहाँ उन्हें फिर से मंगलापुरम में होटल एयरलाइन आने के लिए कहा गया जहाँ वे बॉम्बे के उक्त मोहम्मद से मिले।यह बम्बई के मोहम्मद थे, जिन्होंने उन्हें वाहन सौंपा और उन्हें बताया कि 7 पैकेट में 7 किलोग्राम हेरोइन कार की अगली सीट के नीचे एक झूठे डिब्बे में छिपी हुई है।अपीलार्थी के संबंध में एकमात्र आरोप यह है कि बॉम्बे के मोहम्मद से प्रतिबंधित पदार्थ की डिलीवरी लेने के बाद, सह-अभियुक्त को हेरोइन लेनी थी और उसे एक नल्लियप्पन को सौंपना था।उक्त नल्लियप्पन को आगे अपीलार्थी को हेरोइन सौंपनी थी।न तो बॉम्बे के उक्त मोहम्मद और न ही नल्लियप्पन से मामले में पूछताछ की गई है और न ही उन्हें आरोपी के रूप में पेश किया गया है।इसलिए, लिंक साक्ष्य पूरी तरह से गायब है।इसके अलावा, आरोप केवल सुनी-सुनाई बातों की प्रकृति का है कि मोहम्मद ने सह-अभियुक्त से कहा था कि उसे वर्तमान अपीलार्थी को प्रतिबंधित सामग्री पहुंचानी है।अगर हम सह-अभियुक्त हसन मोहम्मद (ए-2) के इकबालिया बयान को भी ध्यान में रखते हैं, तो यह केवल यह साबित करेगा कि मोहम्मद (बॉम्बे से) ने सह-अभियुक्त से कहा था कि नल्लियप्पन वर्तमान अपीलार्थी को प्रतिबंधित पदार्थ सौंप देगा। सह-अभियुक्त का यह साक्ष्य एक बहुत ही कमजोर प्रकार का साक्ष्य है जिसकी पुष्टि कुछ अन्य साक्ष्यों से करने की आवश्यकता है।एक सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति जाँच अधिकारियों को एक संकेत देता है कि मामले की जाँच कैसे की जाए और किसके खिलाफ

मामले की जाँच की जाए।इसके बाद, यह जांच अधिकारियों पर है कि वे उक्त व्यक्ति के खिलाफ सबूत एकत्र करें, जिसका नाम सह-आरोपी द्वारा लिया गया है।वर्तमान मामले में ऐसा कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. यह हमें पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज अपीलार्थी के इकबालिया बयान पर लाता है।मान लीजिए, यह स्वीकारोक्ति अपीलार्थी की गिरफ्तारी के बाद दर्ज की गई थी।यह सच है कि यह मुद्दा, कि क्या एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान को इकबालिया बयान के रूप में माना जा सकता है, भले ही ऐसा बयान दर्ज करने वाले अधिकारी को पुलिस अधिकारी के रूप में नहीं माना जाना था, तोफान सिंह बनाम तमिलनाडु राज्य 1 के मामले में एक बड़ी पीठ को भेजा गया है। 7.हम, इस मामले के निर्णय के लिए, इसलिए, इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि स्वीकारोक्ति स्वीकार्य है।भले ही यह स्वीकार्य हो, अदालत को संतुष्ट होना होगा कि यह एक स्वैच्छिक बयान है, जो किसी भी दबाव से मुक्त है और यह भी कि आरोपी को पहले अपने अधिकारों से अवगत कराया गया था

एफ.

जी.

1 (2013) 16 एससीसी 31 ए

एच.

471

मोहम्मद फसरिन बनाम राज्य प्रतिनिधि. बुद्धिमत्ता अधिकारी द्वारा [दीपाक गुप्ता, जे.]

स्वीकारोक्ति दर्ज करना।इस मामले के रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं लाई गई है।यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक स्वीकारोक्ति, विशेष रूप से एक स्वीकारोक्ति जो अभियुक्त के हिरासत में होने पर दर्ज की जाती है, सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है और इसमें कुछ पुष्टिकारक सबूत होने चाहिए।सह-अभियुक्त का स्वीकारोक्ति, जिसे सबूत का एक पुष्टिकारक टुकड़ा कहा गया था, ऊपर चर्चा की गई है और इसका कोई भौतिक मूल्य नहीं है।इसलिए, दो इकबालिया बयानों के अलावा-एक सह-आरोपी और दूसरा आरोपी, अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थी को अपराध करने से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं एकत्र

किया है।इस प्रकार, स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता की वैधता में गए बिना, हम मानते हैं कि भले ही ये स्वीकारोक्ति स्वीकार्य हों, फिर भी सबूत अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

बी.

सी.

8. हम, तदनुसार, अपील में बल पाते हैं।हम मानते हैं कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने आरोपी को गलत तरीके से दोषी ठहराया।हम नीचे दोनों न्यायालयों के निर्णय को दरकिनार करते हैं।तदनुसार अपील की अनुमति है।आरोपी पहले से ही जमानत पर है।उसके जमानत बांड जारी कर दिए जाते हैं।

डी.

दिव्या पांडे

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.